राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 1769/2015 ....जिला.........भरतपुर ....

उनवान –इन्दू गोयल पत्नि दिनेश गोयल, कृष्णा नगर भरतपुर बनाम उप पंजीयक,भरतपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2017	एकलपीठ श्री नत्थूराम, सदस्य पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री रोहित सोनी एवं अप्रार्थी–राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि यह निगरानी कलक्टर(मुद्रांक) वृत भरतपुर के प्रकरण संख्या 133/2010 निर्णय दिनांक 10.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कलक्टर(मुद्रांक) ने प्रार्थी के विरूद्ध आरोपित मांग रू0 99,200/–की वसूली हेतु आदेश दिये थे। चूँकि उप पंजीयक भरतपुर के पत्र क्रमांक 1700 दिनांक 26.04.2017 **"मूल प्रार्थना पत्र श्रीमान रजिस्ट्रार राज0 कर बोर्ड को भेज कर निवेदन किया है कि श्री इन्दू गोयल ने छूट का लाभ लेते हुए राशि जमा कर, प्रकरण वापिस ले लिया है प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जावे"** उक्त पत्र पत्रावली में संलग्न है। अतः उक्त पत्र के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने इस पर कोई एतराज जाहिर नहीं किया है। चूँकि प्रार्थिनी द्वारा यह निगरानी उक्त विवादित राशि के विरूद्ध ही पेश की गयी है और उक्त राशि के संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना के क्रम में छूट का लाभ प्रार्थिनी द्वारा जमा कर ले लिया गया है, इस कारण यह निगरानी सारहीन होने योग्य है। फलतः प्रार्थी–निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। (नत्थूराम) सदस्य	